

अधिसूचना
सं० 6/2015-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सा०का०नि०.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 2710 के अन्तर्गत आने वाले सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्पिरिट को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित धारा 103 के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त सीमाशुल्क से, जितना छह रुपए प्रति लीटर की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है ।

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार